निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 290) पटना, बुधवार, 27 फरवरी 2019

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
26 फरवरी 2019

एस0 ओ0 39 दिनांक 27 फरवरी 2019——न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची –1(ब) के स्तभं –02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
1	2	3	4
जुलाई, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अगस्त, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
सितम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
अक्टूबर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
नवम्बर, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
दिसम्बर, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
			योग :– **41269.20**

औसत – **41269.20** ÷ 6 = **6878.20**

अनुसूची–1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम		**कुल**
69 नियोजन– सामान्य कार्य	**अधिसूचना संख्या** –6769, 6770 दिनांक 26.09.2018 गजट सं0–888 दि028.09.2018	**69– अनुसूचित नियोजन**

(1) कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उधोग (3) खंडसारी उधोग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग (5) साबुन निर्माण उधोग (6) सिमेन्ट प्री–स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उधोग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उधोग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उधोग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उधोग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग (26) प्लाईउड उधोग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग (29) रबड एवं कम्पाउंड उधोग (30) बिस्कुट उधोग (31) कोल ब्रिकेट उधोग (32) सिलाई उधोग (33) हैंडलूम उधोग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उधोग (37) मिनरल ग्राईडिंग उधोग (38) शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शेाधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उधोग (57) किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शैाप्स (62) हार्ड कोक भट्ठे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इल्क्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिंसिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची –II

क्र0 सं0	**कामगारों की कोटि**	**दिनांक 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)**	**परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी**	**01.04.2019 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00=257.00	11.00	268.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00=268.00	11.00	279.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00=325.00	15.00	340.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00=396.00	19.00	415.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00 =7359.00	324.00	7683.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई–दिसम्बर,2018** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल, 2019** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

स्पष्टीकरण – अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

(क) राज्य सरकार कामगारों के उन्नयन का आधार निम्न रूपेण निर्धारित करती है, जैसे –

(i) **किसी कोटि (अकुशल एवं अर्द्धकुशल) में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक तक का कार्य अनुभव होने पर, कामगार को उस कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माना जायेगा तथा कामगार को उन्नत कोटि के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।** उदाहरणस्वरूप अगर कोई कामगार पाँच या पाँच वर्षों से अधिक अकुशल कामगार के रूप में कार्य किया हो तो वह अर्द्धकुशल कामगार के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा। इसी प्रकार अर्द्धकुशल कोटि के कामगार भी पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव होने पर अपनी कोटि से तत्काल ऊपर की कोटि में उन्नत माने जायेंगे।

परंतु कुशल से ऊपर कोटि में उन्नयन हेतु प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

(ii) अगर किसी कामगार ने National Skill Qualification Framework (NSQF) संबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा कामगार के प्रमाण–पत्र में उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) का उल्लेख हो तो उस कामगार को उनके द्वारा प्राप्त स्तर (Level) के अनुसार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कोटिबद्ध किया जाता है–

स्तर (Level)-1 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अकुशल माना जायेगा।

स्तर (Level)-2 एवं 3 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अर्द्धकुशल माना जायेगा।

स्तर (Level)-4 एवं 5 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को कुशल माना जायेगा।

स्तर (Level)-6 एवं 7 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को अतिकुशल कामगार माना जायेगा।

स्तर (Level)-8, 9 एवं 10 की योग्यता धारण करने वाले कामगार को पर्यवेक्षीय या लिपिकीय माना जायेगा।

ऐसे कामगार जिन्होंने National Skill Qualification Framework (NSQF) के अन्तर्गत किसी कोटि का स्तर (Level) प्राप्त किया हो एवं उस स्तर पर उनके द्वारा पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव हो तो उन्हें अगली कोटि में उन्नत माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप–अगर कोई कामगार स्तर (Level)-2 अथवा स्तर (Level)-3 के अन्तर्गत अर्द्धकुशल कामगार है एवं उनके द्वारा अर्द्धकुशल कामगार के रूप में पाँच या पाँच वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त कर लिया गया है तो उसे कुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

(iii) अगर किसी कामगार ने किसी केन्द्र/राज्य अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो वह कामगार प्राप्त प्रशिक्षण के पश्चात् धारित योग्यता के अनुसार अर्द्धकुशल अथवा कुशल कोटि के न्यूनतम मजदूरी का हकदार होगा।

(ख) राज्य सरकार निम्न रूपेण विभिन्न कोटियों में कामगारों का वर्गीकरण करती है। यह वर्गीकरण नितांत उदाहरणस्वरूप है तथा यह कार्य की प्रकृति के अनुसार घट अथवा बढ़ सकता है–

<u>अकुशल</u>

बजरी (गिट्टी/छर्री) फैलाने वाला, बेलदार, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, गाड़ीवान (बैल, ऊँट, गधा, खच्चर), श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, पेट्रोलमैन, तलाशीकर्त्ता, स्वीपर, वाचमैन, घास काटनेवाला **या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।**

<u>अर्द्धकुशल</u>

भिश्ति (मूशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक (चट्टान, पत्थर प्रस्तर धातु, पत्थर), बेंत बुनने वाला, चारपाई कसने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र रहित), दफ्तरी, फायरमैन, फायरमैन (ईंटो का भट्ठा, स्टीम रोड रोलर), गेटकीरपर, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), श्रमिक (चट्टानकर्तन), फिटर गैंग, खलासी, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), रात्रिगार्ड, सहायक चाय बनाने वाला, परोसने वाला, (सर्विस मैन), बैरा, वेटर, भंडारवाला, फिटर (सहायक

अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), पम्प अटेंडेंट, डांडी फराश, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक), खलासी, नाव वाला, मसालची, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़नेवाला) **या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों जिनमें कार्य अनुभव/प्रशिक्षण के आधार पर कुछ कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाय।**

कुशल

मिस्त्री, लोहार, बायलर मैन, ईट बिछानेवाला, ब्लास्टर, बढ़ई, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित), काष्टकार (साधारण), कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, मोची, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर लारी चालक, चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, बुलडोजर, रोड रोलर, और क्रेन), चालक (लोको/ट्रक), राजमिस्त्री, स्टोन टाइल फ्लोरिंग मिस्त्री, मोल्डर (ईंट, टाइल), पेंटर, नलसाज मिस्त्री, नलसाज–सह–फिटर, पोलिशगर, पॉलिशगर (फर्श), पम्प चालक, सहायक (वातानुकूल परिचालक), स्टोनकटर, दर्जी, दर्जी (अपहोजरी), ठठेरा, सोफाकाज, रंगसाज, रसोइया (प्रधान), बिजली मिस्त्री, यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (ट्यूब–वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, बावर्ची, कारीगर, हलवाई, महाराज, सहायक महाराज, सहायक रसोईया, रोटी कारीगर, आईस्क्रीम मिस्त्री, डोसा मास्टर, प्रधान वेटर, प्रधान बेरा **या कुशल प्रकृति का कोई अन्य प्रवर्ग, जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकी या किसी व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।**

अतिकुशल

बायलरमैन, केबल संयोजक, मैकेनिक (वातानुकूलन), ओवरसियर, सड़क निरीक्षक, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), वेल्डर एवं फिटर, वायर मैन, वातानुकूल परिचालक, चित्रकार, प्रधान बावर्ची, प्रधान खानसामा, प्रधान महाराज, प्रधान कारीगर **या कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति का हों, जिनमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षो के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इनके निष्पादन हेतु कामगारों में विवेक या विनिश्चय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।**

लिपिकीय/पर्यवेक्षकीय

लिपिक, मुंशी (न्यूनतम मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट), भंडार रक्षक (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, बुकिंग क्लर्क, टंकक **या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपिकीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रकृति के हों।**

उपरोक्त दरें 01 अप्रैल, 2019 से अगले आदेश तक प्रभावी होंगी

(सं० 5/एम0डब्लू0–403/07 श्र0सं0–996)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव ।

26 फरवरी 2019

एस0 ओ0 40, एस0 ओ0 39 दिनांक 27 फरवरी 2019 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं० 5/एम0डब्लू0–403/07 श्र0सं0–997)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव ।

The 26th February 2019

S.O. 39 Dated 27th February 2019— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No. Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
August, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
September, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
October, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
November, 2018	302	4.63 X 4.93	6893.42
December, 2018	301	4.63 X 4.93	6870.59
Total			**41269.20**
			Average :–41269.20÷6 = 6878.20

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment -General Work	**Notification No-** 6769, 6770 **Dated** 26.09.2018 **Gazette No.-** 888 **Dated** 28.09.2018	**69 Scheduled Employment**

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electrocasting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+01.04.2018+ 01.10.2018 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2019	Total rates of wages effective from the date 01.04.2019 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00=257.00	11.00	268.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00=268.00	11.00	279.00 Per day
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00=325.00	15.00	340.00 Per day
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00=396.00	19.00	415.00 Per day
5.	Supervisory/ Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00 =7359.00	324.00	7683.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2018** will be payable at the aforesaid rates from **01st April, 2019** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Explanation - For the purpose of this notification

(A) The State Government prescribed the following base for upgradation of workers in next category-

(i) If a worker of any category (Unskilled and Semi-Skilled) has attain a working experience of five (5) or more than five (5) year in that particular category then he will be upgraded to the next immediate category and will be paid minimum wage of that upgraded category. For example, if a worker is working as unskilled worker for five (5) or more year then he/she will be entitled for the minimum wage of semi-skilled worker. Similarly semiskilled worker will be entitled for minimum wage of skilled worker after working for five (5) or more than five (5) year as semi-skilled worker.

However, for upgradation above skilled category, certification is necessary.

(ii) If a worker has attain any skill training allied through National Skill Qualification Framework (NSQF) and on his/her certificate, the level which he/she attain is mentioned, then following will be the categorization of levels which he/she is entitled-

The worker holding the certificate of qualification level 1 will be considered as unskilled.

The worker holding the certificate of qualification level 2 and level 3 will be considered as semi-skilled.

The worker holding the certificate of qualification level 4 and 5 will be considered as skilled.

The worker holding the certificate of qualification level 6 and 7 will be considered as highly skilled.

The worker holding the certificate of qualification level 8, 9 and 10 will be considered as Supervisory or Clerical.

If a worker has attain any category as per the National Skill Qualification Framework (NSQF) levels and he/she has work experience of five or more than five years on that particular category then he/she will be upgraded to the next category. For example, if worker is semi-skilled as per level 2 or level 3 and he/she has attain work experience of five or more than five years as semi-skilled then he she will be consider as skilled worker and will be paid minimum wage of skilled worker.

(iii) If a worker has attain any training as per the provision of Central/State Act or Rule, then he/she will be entitled for the minimum wages of semi-skilled or skilled category and will be as per the merit which he/she holds after training.

(B) The State Government Categorizes the different type of worker as per the following. The categorization is only for example and can be increase or decrease as per the nature of work-

Unskilled

Bajri (Stone Chips) Spreader, Beldar, Bucket Man, Carrier (stone), Carrier (water), Cart man, Caretaker (bridge), Cleaner, Chokidar, Concrete (hand mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), labourer (garden), Mazdoor, Hole cutter, Petrol man, Searcher, Sweeper, Watchman, Grass cutter or any other worker by whatever name so called and the execution of work requires no or some skill or experience.

Semi Skilled

Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker (stone, rock, rock stone, stone, metal), Cane weaver, Charpoy-Stringer, Security Guard (with out arms), Daftri, Fireman, Fireman (brick kiln, steam road roller), Gatekeeper, Helper (artisan), Helper (Sawyer), Labourer (Rock-cutting), Fitter Gang, Khalasi, Turner, Labourer (heavy weight), Night Guard, Assistant Tea Maker, Service man, Waiter, Bhandarwala, Fitter (Assistant Semi-skilled), Jamadar (Semi-Skilled), Pump attendant, Dandi Frash, Helper (loco, crane/truck), Boat man, Masalchi, Topkar (big stone breaker) or any other worker by whatever name so called and the execution of work require some skill or capacity, acquired either through experience or some training and which is done under the supervision of skilled worker.

Skilled

Mistry, Blacksmith, Boiler man, Brick layer, Blaster, Carpenter, Security guard (with arms), Carpenter (ordinary), Concrete mixure mixer, Cobbler, Driver, Driver Motor Vehicle, Driver (engine static, stone crusher, bulldozer, road roller and crane), Driver (loco/truck), Mason, Stone tile flooring mistry, Moulder (brick, tile), Painter, Plumber, Plumber-cum-Fitter, Polisher, Polisher (floor), Pump driver, Assistant (air-conditioning), Stonecutter, Tailor, Tailor (upholstery), Copper Smith, Sofa maker, Colour Washing man, Chef (head), Confectioner, Electrician, Mechanic (head), Mistry (tube-well, telephone), Meter reader, Weather observer, Cook, Artisan, Assistant Confectioner, Roti maker, Ice cream maker, Dosa master, Chief waiter, Chief Baira or any other worker whatever name so called and the execution of work requires skill, acquired by means of experience or by training in any vocational institute and also requires pro- activeness and patience for disposal of work.

Highly Skilled

Cable joiner, Mechanic (air-conditioner), Overseer, Road Inspector, Sub Overseer (Qualified) Welder and fitter, Wireman, Colour Artist, Head

Khansama, Head Cook, Head Maharaj, Head Artisan or any other worker by whatever name so called, which perform work of highly skilled nature and require intensive vocational or technical training, or long practical work experience apart from patience, decision making and responsible action.

Clerical/Supervisor

Clerk, Munshi (Matriculate), Store clerk (Matriculate), Store Keeper (Matriculate), Time Keeper, Book Keeper, Work Munshi (Subordinate) Account Clerk, Telephone Operator, Computer Operator, Booking clerk, Typist or any other worker by whatever name so called and the execution of work are of clerical or supervisory nature.

The above mentioned rates will be applicable from 01 April, 2019.

(No- 5/M.W- 403/09 L&R- 996)

By the order of the Governor of Bihar,

MOHAN RAJAK,

Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 290-571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in